प्रेस नोट थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर दिनांक 28.01.2023

डायल 112 नंबर पर 04 करोड़ के सोने के सामान की चोरी की गलत सूचना देने वाला गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली जनपद गोरखपुर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक श्री रणधीर कुमार मिश्रा मय पुलिस टीम द्वारा डायल 112 नंबर पर 04 करोड़ के सोने के सामान की चोरी की गलत सूचना देने वाला अभियुक्त श्रवण तिवारी पुत्र रामज्ञय तिवारी निवासी दावर पारा हर्रैया जनपद बस्ती को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण - दिनांक 27.01.23 को श्रवण तिवारी पुत्र रामज्ञय तिवारी निवासी दावर पारा हर्रैया जनपद बस्ती ने डायल 112 नंबर को सूचना दिया की मै ब्राईट लोजिस्टिक सर्विस कोरियर कम्पनी मे कार्य करता हुँ। गोरखपुर व प्रदेश के भिन्न–भिन्न स्वर्ण व्यवसायियो से सोने का सामान रिसीव करते है एवं भिन्न–भिन्न स्थानो पर प्राप्त सोने के सामानो को बेचते है। बीती रात्रि 10.09 बजे 112 नंबर पर सूचना दिया की 07 पैकेट सोने का सामान अज्ञात चोरो द्वारा ताला तोडकर चुरा लिया गया है। इस सूचना पर प्र0नि0 रणधीर कुमार मिश्रा, चौकी प्रभारी बेनीगंज उ0नि0 अजीत कुमार चतुर्वेदी व उ0नि0 छोटेलाल द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो श्रवण कुमार पुत्र रामज्ञय तिवारी उपरोक्त द्वारा बताया गया की कोरियर के मालिक राजन कुमार ने मुझे बताया की सभी सोने के सामानो के पैकेट मोहित को देकर लखनऊ निकाल दो तथा पुलिस को इन पैकेटो की चोरी के संबंध मे सूचना दे दो जिससे इसका इश्योरेंस क्लेम हो जायेगा। मैने वैसा ही किया। सीसीटीवी कैमरो के जांच से सत्यता सामने आ गई व चोरी की घटना गलत पायी गई। इस सूचना पर प्र0नि0 कोतवाली द्वारा मु0अ0सं0 36/2023 धारा 182 भादसं0 बनाम 1. श्रवण तिवारी पुत्र रामज्ञय तिवारी निवासी दावर पारा हर्रैया जिला बस्ती, व अन्य 01 अज्ञात अभियुक्त के पंजीकृत कराया गया विधिक कार्यवाही की जा रही है। तथा मुल्जिम से पुछताछ मे 1 लाख 50 हजार रुपये अभियुक्त के निवास स्थान से बैग से मिला जिसको दाखिल किया गया। उपरोक्त सामान जो स्वर्णकार तपस के 02 बंडल, 2. स्वर्णकार राकेश ज्वेलर्स के 01 बंडल, 3. स्वर्णकार NKSK के 03 बंडल, 4. M.S. ज्वेलर्स के 01 बंडल, 5. स्वर्णकार अभिषेक ज्वेलर्स के 01 बंडल, 6. अनुराधा ज्वेलर्स के 01 बंडल है। उपरोक्त स्वर्णकारो से प्राप्त बंडलो को मोहित को दे दिया तथा इन्ही सामानो के संबंध मे फर्जी चोरी की सूचना दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

श्रवण तिवारी पुत्र रामज्ञय तिवारी निवासी दावर पारा हर्रैया जनपद बस्ती

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 0036/2023 धारा 182 भादसं0 थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर

बरामदगी- 1.50 लाख रुपये

गिरफ्तारी में शामिल टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रणधीर कुमार मिश्रा थाना कोतवाली गोरखपुर।
2. उ0नि0 श्री अजीत कुमार चतुर्वेदी थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर।
3. उ0नि0 श्री छोटेलाल थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर।